(126) III/निग०/सिंगरौली/2017/3966

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर, कैम्प रीवा, म०प्र०

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

बृजलाल यादव पिता राजमन यादव निवासी ग्राम रैला, तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली म०प्र० — — निगरानीकर्ता

बनाम

शकुन्तला कुवरि पुत्री धीर सिंह, पत्नी अभिमान सिंह, निवासी ग्राम रैला, तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली म०प्र० — — गैरनिगरानीकर्ता

अधि० श्री आर० के० देव पाण्डेय द्वारा पेश। 23.10.17

कार्यालय ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली म०प्र०, के प्रकरण क्र 91/अपील/2016-17 मे पारित आदेश दिनांक 10.10.2017 अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू राजस्व संहिता सन 1959ई.।

====================================

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2:- यह कि विवादित भूमि क्र. 1033/0.090 के अंशभाग 0.030 हेक्टयर पर आवेदक/निगरानीकर्ता का भूमिस्वामी स्वत्व वासस्थान दखलकार अधिनियम के अन्तर्गत पट्टा प्राप्त कियाथा। आवेदक भूमिहीन है, तथा भूमिहीन की श्रेणी मे आता है, जिसके अनुसार भूमि का पट्टा प्राप्त कर एक लम्बे अर्से से आवादी दर्ज है, तथा आवास निहित है। इन बिन्दु को अवलोकन न करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है।

3:- यह कि वासस्थान दखलकार के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को पक्षकार बनाना आवश्यक नही है, यदि हितधारी व्यक्ति है, तो अपना हित दर्शाकर

R. P. Pandey Adv.

...... 17 10966

(124)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक ....../निग./17/3966.... जिला–... सिंगरौली

वृजलाल यादव ....विरूद्ध.......... श्रीमती शकुन्तला कुंवारि सिंह

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री आर. के. देव पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 91/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 10-10-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 7-3-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

7

बनाना आवश्यक नहीं है, यदि हितधारी व्यक्ति है, तो अपना हित दर्शाकर

P. Pandey
Adv.